प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा तथा

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 800 वर्ष 2006

सुरेश कुमार पटेल व अन्य

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारणार्थ

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ

हस्ताक्षरित/-

आर. एस. शर्मा

न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 11/05/2012

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायपीठः मान्नीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्र. 800 वर्ष 2006

अपीलार्थीगण 1 सुरेश कुमार पटेल आत्मज बृहस्पति,आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी कोराइ, पुलिस थाना परसगांव, जिला बस्तर

2 आनंद कुमार पटेल आत्मज सुकमनराम, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी कोराइ, पुलिस थाना परसगांव, जिला बस्तर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा पुलिस थाना परसगांव,
जिला बस्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील

उपस्थितः श्री बी. पी. शर्मा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री एन. के. मेहता, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 11.05.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया:

(1) यह अपील सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थित जगदलपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दि.12 सितंबर, 2006 को सत्र प्रकरण क्रमांक 386/2005 में पारित के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 341 के

अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 6 माह के सश्रम कारावास की दण्ड से दंडित किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे।

(2) संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार हैं:-

मृतक सुकडुराम की आयु लगभग 55 वर्ष थी। अभियोजन का मामला यह है कि दि. 14.6.2005 को सुबह लगभग 9.30 बजे सुकडुराम को थाना फरसगांव लाया गया, जहाँ उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी./10) दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया कि दि. 13.6.2005 को रात्रि लगभग 9.00 बजे, जब वह एक भागदेव पुजारी के घर से लौट रहा था, तब अपीलार्थी उसे रास्ते में मिले और उन्होंने चाकू से उस पर हमला किया। जब हमला किया जा रहा था, तब वह अपनी पुत्री सविता (अ.सा.-1) का नाम लेकर चिल्लाया। जब अपीलार्थीगण ने देखा कि उसकी पुत्री आ रही है, तो वे घटनास्थल से भाग गए। उसका पुत्र श्रीराम (अ.सा.-2) और पत्नी महारिन बाई (अ.सा.-3) भी वहां आ गए। वे उसे उसके घर ले गए और तत्पश्चात वह शिकायत दर्ज कराने आया। उपरोक्त रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 एवं 341 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया और मृतक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। मृतक का परीक्षण एक स्थानीय चिकित्सक द्वारा किया गया और उसके बाद उसे महारानी अस्पताल, जगदलपुर रेफर कर दिया गया। मृतक के पेट पर आई क्षतियों के लिए शल्य चिकित्सा की गई। हालांकि, उपचार के दौरान दि.15.6.2005 को दोपहर 12.45 बजे मृतक की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई। तब अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में परिवर्तित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पोस्टमार्टम परीक्षण डॉ. आर.बी.पी. गुप्ता (साक्षी-5) द्वारा किया गया। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं:-

(I) गर्दन के पार्श्व भाग पर 2 x 1 सेंटीमीटर का पट्टीयुक्त घाव;

(ii) छाती के बाएं निचले हिस्से पर 2 x 1 सेंटीमीटर का टांके लगा हुआ और पट्टीयुक्त घाव;

(iii) बाएं हाथ पर 2 टांकों वाला सिला हुआ घाव; एवं

(iv) उदर क्षेत्र पर एक पट्टीयुक्त लैपरोटॉमी, जिसमें 12 टांके लगे थे; टांके खोलने के बाद बाएं डायाफ्राम के गुंबद, मेसेंटरी व जेजुनम पर क्षतियां देखी गईं। उदर गुहा में काले रंग का पदार्थ मौजूद था।

शवपरीक्षक के अनुसार, मृत्यु का कारण पेट और छाती में लगी क्षतियों के कारण होने वाला शॉक और सेप्टीसीमिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अभियोजन का प्रकरण मुख्य रूप से मृतक द्वारा की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) पर आधारित था, जिसे मृत्युकालिक कथन के रूप में लिया गया था; इसके अतिरिक्त सविता (अ.सा.-1 - मृतक की पुत्री), श्रीराम (अ.सा.-2 - मृतक का पुत्र) और महारिन बाई (अ.सा.-3 - मृतक की पत्नी) के समक्ष मृतक द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन; तथा इस परिस्थिति पर आधारित था कि जब मृतक सहायता के लिए चिल्ला रहा था, तब अपीलार्थीगण को घटनास्थल पर देखा गया था।

(4) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्षीगण के कथनों पर अवलंब लिया है और यह अभिनिर्धारित किया कि जब मृतक सहायता के लिए चिल्ला रहा था, तब साक्षीगण ने अपीलार्थीगण

को घटनास्थल पर देखा था; मृतक ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था; तत्पश्चात मृतक स्वयं पुलिस थाने गया और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) दर्ज कराई, जो कि एक लिखित मृत्युकालिक कथन था, इसलिए अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के तहत दंडादेश के दायी थे।

(5) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने सर्वप्रथम यह तर्क दिया कि यह सिद्ध नहीं हुआ था कि मृतक ने रिपोर्ट दर्ज कराया था, इसलिए लिखित मृत्युकालिक कथन (मृतक द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन) से संबंधित निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था। विधिक सिद्धांतों के लिए, उन्होंने ***शाम शंकर कांकरिया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2006) 13 एससीसी 165*** के निर्णय का उद्धरण दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) हमें मृत्युकालिक कथन से संबंधित विधिक सिद्धांतों के बारे में कोई संदेह नहीं है। तथापि, हम उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर उन्हीं सिद्धांतों को दोहराते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन इस सूक्ति "नेमो मॉरिटुरस प्रेसुमिटर मेंटायर" पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपने मुख में झूठ लेकर अपने निर्माता (ईश्वर) से नहीं मिलेगा। साक्ष्य विधि की धारा 32 के आठ खंड अनुश्रुत साक्ष्य के सामान्य नियम के अपवाद हैं। धारा 32 का खंड (1) उसे सुसंगत बनाता है जिसे सामान्यतः मृत्युकालिक कथन के रूप में वर्णित किया जाता है, यद्यपि किसी भी संविधि में ऐसे पद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के संबंध में किए गए कथन से है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। इसे स्वीकार किए जाने के आधार हैं: प्रथम, आवश्यकता, क्योंकि

पीड़ित सामान्यतः अपराध का एकमात्र मुख्य चक्षुदर्शी साक्षी होता है, अतः उसके कथन के अपवर्जन से न्याय के उद्देश्य विफल हो सकते हैं; और द्वितीय, आसन्न मृत्यु का बोध, जो शपथ की बाध्यता के समान ही एक शुचिता उत्पन्न करता है। जिस सामान्य सिद्धांत पर इस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि ये अत्यंत विकट परिस्थितियों में की गई घोषणाएं हैं, जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है, जब इस संसार की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर हेतुक शांत हो जाता है, और मन सबसे शक्तिशाली विचारों द्वारा सत्य बोलने के लिए प्रेरित होता है; ऐसी गंभीर और विधिक स्थिति को विधि द्वारा वैसी ही बाध्यता उत्पन्न करने वाला माना जाता है जैसी कि न्यायालय में दिलाई गई सकारात्मक शपथ द्वारा अधिरोपित की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) ***मुन्नू राजा और अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1976 एससी 2199*** में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पुलिस के समक्ष कथन करने के पश्चात पीड़ित की क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाती है, वहाँ उस कथन को मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जा सकता है और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अंतर्गत ग्राह्य है। इसलिए, मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन को उचित रूप में मृत्युकालिक कथन माना गया था और इसके संबंध में शायद ही कोई विवाद हो सकता है। श्री शर्मा ने भी उपरोक्त विधिक स्थिति पर विवाद नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने यह तर्क दिया है कि यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं हुआ था कि मृतक ने स्वयं पूर्वोक्त रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अतः पूर्वोक्त रिपोर्ट (प्रथम सूचना प्रतिवेदन) को मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं माना जा सकता था। यदि हम प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) को देखें, तो यह प्रारूप (प्रारूप क्र. 1) में है। इसमें उस स्थान पर अंगूठे का निशान है जहाँ शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाना होता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वह अंगूठे का निशान किसका था, क्योंकि अंगूठे के निशान पर या उसके पास कुछ भी नहीं लिखा

गया है। उप-निरीक्षक अरविंद द्विवेदी (अ.सा.-8) वह पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) लेखबद्ध की थी। उन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) पर अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया कि भूलवश प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह पृष्ठांकित नहीं किया गया था कि उनके द्वारा किसका अंगूठा का निशान लिया गया था। हालांकि उन्होंने यह दावा किया कि मृतक का अंगूठा निशान लिया गया था। मृतक-सुकडुराम ग्राम का पटेल था। एक बचाव साक्षी भानू (ब.सा.-1) का परीक्षण किया गया है, भानू (ब.सा.-1) ने यह साक्ष्य दिया कि मृतक सुकडुराम दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किया करता था। उदाहरण के लिए उसने *ऋण-पुस्तिका* (प्रदर्श डी./5) की एक प्रति प्रस्तुत की जिसमें ग्राम पटेल के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं और मृतक-सुकडुराम ने उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिपरीक्षा में, उसने इस बात से इनकार किया कि सुकडुराम कभी-कभी अपना अंगूठा निशान लगाता था। प्रदर्श डी./5 एक पुराना दस्तावेज है। इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति सभी संव्यवहारों में दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करता है, तो सामान्य मानवीय आचरण में, वह अपने हस्ताक्षर के बजाय अपना अंगूठा निशान तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि कोई बाध्यकारी परिस्थिति ऐसी आवश्यकता उत्पन्न न कर दे। यदि मृतक-सुकडुराम पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की स्थिति में था और उसने स्पष्ट शब्दों में रिपोर्ट दर्ज कराई, जैसा कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है, तो वह रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर क्यों नहीं करेगा और अपना अंगूठा निशान क्यों लगाएगा, जिसकी पहचान प्रथम सूचना प्रतिवेदन के लेखक द्वारा भी नहीं की गई है। यदि यह ऐसा प्रकरण होता जिसमें शिकायतकर्ता के हाथ या उंगली पर क्षतियां आई होतीं और उन क्षतियों के कारण वह अपने हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं होता, तो निश्चित रूप से ऐसे आचरण को स्वीकार किया जा सकता था। किंतु वर्तमान प्रकरण वैसा नहीं है। इसलिए, प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सामग्री संदेहास्पद प्रतीत होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) सविता (अ.सा.-1) मृतक की पुत्री है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि अगली सुबह वह भी जीप में मृतक के साथ पुलिस थाने गई थी। उनके साथ अमरनाथ (अ.सा.-4), भागचंद और महारा भी थे। वे मृतक को फरसगांव अस्पताल ले गए थे। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि भागचंद, अमरनाथ (अ.सा.-4) और महारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के भीतर गए थे। इतना ही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके चाचा महारा ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया था। हमारे पास सविता (अ.सा.-1) के पूर्वोक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस संदर्भ में उप-निरीक्षक अरविंद द्विवेदी (अ.सा.-8) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका-8 में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि सुकडुराम की रिपोर्ट (प्रथम सूचना प्रतिवेदन- प्रदर्श पी/10) पुलिस थाने के भीतर दर्ज की गई थी, जिसका अर्थ पुलिस थाने के कमरे में होगा। साक्षीगण के साक्ष्य के विवेचन और प्रथम सूचना प्रतिवेदन में हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लेने के संबंध में पूर्वोक्त विसंगतियों को देखते हुए, हमारा यह मत है कि यह युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ कि वास्तव में मृतक ने पुलिस थाने में पूर्वोक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) दर्ज कराया था और उसने वास्तव में पुलिस के समक्ष पूर्वोक्त कथन (जिसे मृत्युकालिक कथन के रूप में माना गया है) दिया था। इसलिए, यह सिद्ध नहीं हुआ कि मृत्युकालिक कथन (प्रथम सूचना प्रतिवेदन- प्रदर्श पी/10) मृतक द्वारा दिया गया था और हम तदनुसार यह अभिनिर्धारित करते हैं।

(9) श्री शर्मा ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति *संबंधित* मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। उन्होंने **शिवलाल एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, (2011) 9 एससीसी 561** के निर्णय का उद्धरण दिया है। उपरोक्त निर्णय में, विभिन्न पूर्ववर्ती निर्णयों पर अवलंब लिया है, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका-18, 19 और 20 में निम्नानुसार अवलोकन किया:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"18. इस न्यायालय ने **भजन सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 421** में संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति विलंब से भेजने के विवाद्य पर विस्तार से विचार किया है और **शिव राम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 1 एससीसी 149** तथा **अरुण कुमार शर्मा विरुद्ध बिहार राज्य, (2010) 1 एससीसी 108** सहित बड़ी संख्या में निर्णयों पर अवलंब लिया है, और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता आंतरिक और बाहरी नियंत्रणों का प्रावधान करती है: जिनमें से एक संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करना है। यह इस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन समय से पूर्व या पूर्व तिथि की न हो। मजिस्ट्रेट को प्रत्येक गंभीर अपराध की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत कार्रवाई करने की स्थिति में हो सके। इस वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को अन्वेषण की जानकारी देना है ताकि वह अन्वेषण को नियंत्रित करने और यदि आवश्यक हो, तो उचित निर्देश देने में सक्षम हो सके। हालांकि, ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में होने वाला प्रत्येक विलंब अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन बताए गए समय पर दर्ज नहीं की गई है या वह समय से पूर्व या पूर्व तिथि की है या अन्वेषण निष्पक्ष व स्पष्ट नहीं है। किसी दिए गए प्रकरण में, विलंब का स्पष्टीकरण हो सकता है। संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति भेजने में बिना किसी स्पष्टीकरण के अत्यधिक विलंब अभियोजन के प्रकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि, ऐसा प्रतिकूल निष्कर्ष किसी प्रकरण में शामिल उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर निकाला जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1) के तहत अनिवार्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। ऐसी परिस्थिती में, अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना किया जाना, यह निश्चित रूप से अभियोजन के प्रकरण पर संदेह उत्पन्न करेगा। इस न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध कल्याण सिंह, (2011) 9 एससीसी 569** में इस विवाद्यक पर विचार किया था, जिसमें स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया गया था कि मध्य प्रदेश में, पुलिस के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति भेजना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुलिस विनियमन के विनियमन 710 में निहित प्रावधानों द्वारा ऐसी आवश्यकता बताई गई थी। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विनियमन 710 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को अधिभावी नहीं कर सकता है, जो संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति भेजने का प्रावधान करती है।

20. वर्तमान अपील छत्तीसगढ़ से आई है जिसे मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया है। राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस मुद्दे पर कोई भी प्रकाश डालने की स्थिति में नहीं हैं। अतः, ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, हम केवल यह अभिनिर्धारित कर सकते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि अन्वेषण अधिकारी की ओर से हुई कोई भी चूक अभियुक्त को कोई लाभ प्रदान नहीं करेगी, अभियोजन के प्रकरण को कुछ संदेह के साथ देखा जा सकता है जब प्रकरण में शामिल अन्य समकालीन परिस्थितियों के साथ उसका परीक्षण किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) वर्तमान प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह प्रकट नहीं करती है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा गया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/10) में उचित स्थान पर यह पृष्ठांकन अंकित है कि इसे संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोंडागांव को भेजा गया था। यद्यपि यह तर्क प्रस्तुत किया गया है, किंतु ऐसे तर्क का कोई आधार नहीं है। उप-निरीक्षक अरविंद द्विवेदी (अ.सा.-8) के साक्ष्य के परिशीलन पर, हम पाते हैं कि इस साक्षी से प्रथम सूचना प्रतिवेदन में किए गए पूर्वोक्त पृष्ठांकन के संबंध में या इस तर्क के संबंध में कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं भेजा गया था, एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसलिए, हम वर्तमान को ऐसा प्रकरण नहीं पाते हैं जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के प्रावधानों का अननुपालन हुआ हो। इसके अतिरिक्त, मृत्युकालिक कथन के संबंध में हमारे निष्कर्ष के आलोक में, जिसमें हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक द्वारा ऐसा कोई मृत्युकालिक कथन नहीं दिया गया था जैसा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट है, पूर्वोक्त तर्क अधिक महत्व नहीं रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) श्री शर्मा ने आगे यह तर्क दिया है कि सविता (अ.सा.-1), श्रीराम (अ.सा.-2) और महारिन बाई (अ.सा.-3) विश्वसनीय साक्षी नहीं थे और मृतक ने उनके समक्ष कोई मौखिक मृत्युकालिक कथन नहीं किया था।

(12) सविता (अ.सा.-1) मृतक की पुत्री है। उसने यह साक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात लगभग 7-8.00 बजे उसके पिता (मृतक) भागदेव के घर गए थे। कुछ समय बाद उसने अपने पिता की चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ी और देखा कि उसके पिता रास्ते में पड़े

थे और अपीलार्थी वहां खड़े थे। जब वह चिल्लाई, तो अपीलार्थी भाग गए। अपीलार्थीगण ने घटनास्थल पर ही चाकू छोड़ दिया था। उसका भाई श्रीराम (अ.सा.-2) और माता महारिन बाई (अ.सा.-3) भी घटनास्थल पर पहुँच गए थे। उसके पिता सचेत थे। उन्होंने उन्हें बताया कि अपीलार्थीगण ने उन पर चाकू से हमला किया है। उसने बहुत स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया कि जब उसके पिता (मृतक) पूर्वोक्त तथ्य बता रहे थे, तब उसका भाई श्रीराम (अ.सा.-2) और माता महारिन बाई (अ.सा.-3) भी वहां उपस्थित थे।

(13) श्रीराम (अ.सा.-2) मृतक का पुत्र है। वह सविता (अ.सा.-1) से छोटा है। उसने भी इसी प्रकार साक्ष्य दिया। उसने साक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब उन्होंने अपने पिता के चिल्लाने की आवाज सुनी और घटनास्थल पर पहुँचे, तो उसने देखा कि अपीलार्थी वापस भाग रहे थे। उसने अपने पिता की गर्दन, छाती और पेट पर क्षतियां देखी थीं। उसके पिता (मृतक) रास्ते में पड़े थे। उसके पिता ने उसे बताया कि अपीलार्थीगण ने उन पर चाकू से हमला किया था। उसने साक्ष्य दिया कि उन्होंने अपने पिता से बार-बार पूछा था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपीलार्थीगण के नाम लेते हुए उन्हें बताया कि उन्होंने ही उन पर हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) महारिन बाई (अ.सा.-3) मृतक की पत्नी है। उसने भी अपीलार्थीगण को घटनास्थल पर देखा था। उसने भी साक्ष्य दिया कि उसके पति (मृतक) ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था कि अपीलार्थीगण द्वारा उन पर हमला किया गया था।

(15) घटना एक छोटे से गाँव में हुई थी, जहाँ लगभग हर कोई एक-दूसरे से परिचित था। उपरोक्त 3 साक्षीगण का साक्ष्य स्वाभाविक प्रतीत होता है। यदि परिवार के किसी व्यक्ति को ऐसी क्षतिं आती

हैं, तो सामान्य मानवीय आचरण में, परिवार के सदस्यों की पहली प्रतिक्रिया यह जानने की होगी कि ऐसी क्षतियां कैसे आईं। यदि पीड़ित क्षतियों के बारे में तथ्यों का खुलासा करने की स्थिति में होता है, तो वह निश्चित रूप से अपने परिवार के सदस्यों को इसका खुलासा करेगा और जब तक यह न दिखाया जाए कि या तो पीड़ित यह सब बताने की स्थिति में नहीं था या ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि साक्षी घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ित से मिले हों, ऐसे साक्ष्य को शायद ही खारिज किया जाएगा।

(16) वर्तमान प्रकरण में, मृतक को तुरंत उपरोक्त 3 साक्षीगण द्वारा बचाया गया था, जो कोई और नहीं बल्कि उसके बच्चे और पत्नी थे। वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और मृतक से मिले, जहाँ मृतक ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया। श्री शर्मा ने इन साक्षीगण की विश्वसनीयता के बारे में काफी तर्क दिए हैं। इन साक्षीगण के संपूर्ण साक्ष्य की सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, हमारा यह मत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इन साक्षीगण के कथनों पर अवलंब लिया है और यह अभिनिर्धारित करने में सही थे कि मृतक ने घटना के तुरंत बाद उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था। इसलिए, मृतक के मौखिक मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य पर, जो उसने उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष दिया था, अपीलार्थीगण की संलिप्तता सिद्ध हुई।

(17) अब हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि उपरोक्त क्षतियां कारित करते समय अपीलार्थीगण ने कौन सा अपराध किया।

(18) डॉ. आर.बी.पी. गुप्ता (अ.सा.-5) ने पाया कि 4 क्षतियों में से, क्षति संख्या (i) और (iii) सतही क्षतियां थीं। क्षति संख्या (ii) जो छाती के बाएं हिस्से पर थी, वह भी 2 x 1 सेंटीमीटर की थी और रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस क्षति की गहराई कितनी थी और इससे कौन सा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हुआ था। क्षति संख्या (iv) के लिए लैपरोटॉमी की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि डायाफ्राम, मेसेंटरी और जेजुनम पर क्षतियां थीं। शवपरीक्षक ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि इनमें से कोई भी क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके विपरीत, उन्होंने साक्ष्य दिया कि मृत्यु का कारण पेट और छाती में लगी क्षतियों के कारण होने वाला शॉक और सेप्टीसीमिया था। अभियोजन का प्रकरण यह है कि दोनों अपीलार्थीगण ने मृतक को क्षति पहुंचाईं और उनके द्वारा एक ही चाकू का उपयोग किया गया था। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार जब मृतक भागदेव के घर से आ रहा था, तब अपीलार्थी भी उसके साथ थे, क्योंकि वे सभी एक-दूसरे को जानते थे, और घटना रास्ते में हुई थी। 2 महत्वपूर्ण प्रहारों में से यदि हम प्रत्येक अपीलार्थी को एक-एक प्रहार का उत्तरदायी मानें, तो यह ऐसा प्रकरण नहीं होगा जिसमें अपीलार्थीगण ने मृतक पर लगातार कई प्रहार किए हों। अपीलार्थीगण के पास बार-बार प्रहार करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था। अभियोजन का यह प्रकरण नहीं है कि अपीलार्थी और प्रहार करना चाहते थे और उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा करने से रोका गया था। अतः यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उपरोक्त प्रहार करने के पश्चात, अपीलार्थी रुक गए थे और उन्होंने क्रूरतापूर्वक कार्य नहीं किया था। यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें उदर क्षेत्र की शल्य चिकित्सा की गई थी और शल्य चिकित्सा करने वाले चिकित्सक का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। यहाँ तक कि उस चिकित्सक का भी परीक्षण नहीं किया गया जिसने मृतक के जीवित रहते हुए उसका परीक्षण किया था और मृतक की एम.एल.सी. रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गई थी। हमारा यह मत है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण का उद्देश्य मृतक की हत्या करना या मृतक के उपरोक्त आंतरिक अंगों को (जैसा कि ऊपर बताया गया है) विशेष क्षतियां पहुँचाना नहीं था। तथापि, अपीलार्थीगण को इस बात का ज्ञान भली-भांति था कि शारीरिक क्षतियां पहुँचाने के उनके ऐसे कार्य से मृतक की मृत्यु कारित होना संभाव्य था, और इस प्रकार, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत दंड के उत्तरदायी थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) पूर्वोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के सश्रम कारावास के दंडादेश से दंडित किया जाता है। धारा 341 के अंतर्गत उन्हें दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को यथावत रखा जाता है। सभी दण्ड साथ-साथ चलाने का निर्देश भी यथावत रखा जाता है।

(20) यह कहा गया है कि अपीलार्थीगण दि. 16.6.2005 से जेल में हैं। वे पहले से कारावास में भुगती गई अवधि के समायोजन के हकदार होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-
आर. एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By अधिवक्ता राजकुमार वर्मा